

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर समक्षः मनोज गोयल. प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1798—तीन / 2012 प्रकरण कुमांक विरुद्ध आदेश दिनांक 14—05—2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला– विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 06 / निग0 / 2011-12

......

- खिलान सिंह पुत्र गोकुल 1---
- 2---

-

- कुदौंआ पुत्र पुनुआ गिर्जा बाई पुत्री पुनुआ 3—
- शान्तिबाई पुत्री पुनुआ 4--
- भंवरीबाई विधवा पुनुआ 5-निवासीगण–ग्राम छपारा तहसील कुरवाई, जिला–विदिशा

..... आवेदकगण

<u>विरूद</u> लालसिंह पुत्र सूरतसिंह, निवासी-ग्राम जारोली तहसील कुरवाई जिला–विदिशा

.....अनावेदक

श्री एम0के0 जैन एवं प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण श्री जे0पी0एस0 बघेल, अभिभाषक, अनावेदक

> ः आ देशः (आज दिनांक 10/6/17 को पारित )

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला–विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-05-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 1cml

प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम किशनपरु, तहसील कुरवाई 2/ जिला–विदिशा की भूमि खसरा नं0 6/1/1 एवं 6/1/2 विवादित है । अनावेदक द्वारा तहसीलदार कुरवाई के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 कुरवाई के न्यायालय में वाद क्रमांक 71ए/87 ई०दी० एव० 58ए/89 ई०दी० विचाराधीन थे, दोनों वाद एक निर्णय द्वारा दिनांक 02/01/98 को अनावेदक के पक्ष में निर्णीत हुए, जिसकी प्रथम अपील व द्वितीय अपील अनावेदक के पक्ष में निर्णीत हुई । उक्त निर्णय के आलोक में अनावेदक का विवादित भूमि पर नामान्तरण किए जाने का निवेदन किया गया । आवेदकगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 कुरवाई के समक्ष प्रवर्तन की कार्यवाही 12 वर्ष समाप्त होने के बाद प्रारंभ की गई, इस कारण डिक्री का निष्पादन अवधि बाह्य होने से निरस्त किया गया तथा यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 कुरवाई के समक्ष Adverse Possession के आधार पर विवादित भूमि पर स्वत्व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है । इस कारण नामांतरण की कार्यवाही स्थागित की गई । नायब तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर, प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण प्रकरण अग्रिम सुनवाई आदेश दिनांक 20–09–2011 द्वारा स्थगित कर दी । नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–09–2011 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया । अपर कलेक्टर विदिशा ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों पर पूर्ण विचार न करते हुए तहसीलदार कुरवाई के आदेश दिनांक 20--09-2011 को निरस्त कर प्रकरण पुनः गुण-दोषों के आधार पर निराकरण करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कुरवाई के न्यायालय में प्रत्यावर्तित करने का दिनांक 14–05–2012 को आदेश पारित किया । तहसीलदार कुरवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–05–2012 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अपर कलेक्टर विदिशा का विवादित आदेश दिनांक 14-05-2012 प्रकरण के तथ्यों एवं विधि के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है । अपर कलेक्टर विदिशा ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों को समझने में वैधानिक भूल की है । अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 कुरवाई के समक्ष दिनांक 02/01/1998 में पारित डिक्री के प्रवर्तन कराए जाने हेतु, इजरा आवेदन प्रस्तुत किया है, जो डिक्री के पारित होने के 12 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टि में ही वेरूनम्याद है । आवेदक द्वारा निर्णय दिनांक 02-01-98 को पारित निर्णय एवं डिक्री का प्रवर्तन 12 वर्ष तक न कराने तथा विवादित

भूमि पर स्वत्व की घोषणा होने के उपरांत भी कब्जा नहीं लिया । इस कारण आवेदकगण द्वारा Adverse Possession के आधार पर विवादित भूमि पर भूमिस्वामी घोषित करने हेतु स्वत्व घोषणा प्रसारणार्थ वाद प्रस्तुत किया जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कुरवाई के न्यायालय में विचाराधीन है । माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा अपने आदेश दिनांक 21-02-2012 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के डब्ल्यू0पी0 नं0 7487/2011 में पारित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया है अस्तु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 कुरवाई की इजरा प्रकरण की कार्यवाही स्थगित हो गई । अस्तु निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02/01/98 का प्रवर्तन स्थगित हो गया है । नायब तहसीलदार कुरवाई का नामांतरण प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20–09–2011 विधि अनुसार होने से स्थिर रखे जाने योग्य था, जो निरस्त कर, पुनः गुण--दोषों पर निराकरण करने का अपर कलेक्टर विदिशा का विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-02-2012 के विपरीत है । माननीय Supreme Court के Petition (S) for Special to Appeal (Civil) No. (S) 5498/2012 के अन्तिम निराकरण तक नायब तहसीलदार कुरवाई में विचाराधीन नामांकन प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखा जाना न्यायोचित है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा नायब तहसीलदार कुरवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–09–2011 स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14--05–2012 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तकों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि- The dispute in the present proceedings before this Hon'ble board is in relation to the agricultural land bearing Khasra No. 6/1/1 and 6/1/2 admeasuring 2.609 Hectare situated at Village Kishanpur Tasil Kurwai, District Shivpuri. Initially two civil suits were filed by both parties excluding applicant no. 3 bearing civil suit no. 71A/87 an 58A/89 before the Civil Judge Class 1, Kurwai District Vidisha. The both suits were amalgamated and decided by common judgment and decree date 02-01-1998 in favour of non-applicant thereby holding that the non-applicant is the owner of the property with further direction to the applicants to give possession of the aforesaid land of non-applicant. The aforesaid judgment and decree was confirmed by the first appellate court in appeal no. 41A/99 vide judgment and decree dated 23-02-2001] which was challenged before Hon'ble High Court of M.P. Bench at Gwalior in second appeal no. 296/2001 and same was decided in favor of non-applicant vide oder dated 15-09-2010. Meaning thereby non-applicant has been declared owner of the property and the same has been attained finality. After decision of the

second appeal from High Court of M.P. Bench at Gwalior non-applicant has filed execution proceeding before the competent court for realization of possession only meaning thereby there is no dispute with regard to ownership of non-applicant over the same property in view of the judgment and decree passed by Hon'ble High Court which has attained finality.

The applicants has filed an application for dismissing the execution proceedings and also filed a suit for declaration on the basis of adverse possession which was rejected by the learned trial court and unsuccessfully challenged before Hon'ble High Court of M.P. Bench at Gwalior in Writ Petition no 7487/2011 & 6721/2011. The said writ petition were dismissed vide order dated 28-11-2011 against which SLP is pending before the Hon'ble Apex Court wherein the order of Hon'ble Writ Court has been stayed. On the basis of initial judgment and decree passed in favor of the non-applicant which has not been interfered at any stage by any court and the same has attained finality thereby declaring non-applicant as owner of the land in question. He applied for mutation of his name in the revenue record before the learned Tahsildar Kurwai, District Shipuri (M.P.) u/s 110 of the M.P. Land Revenue Code. The Learned Tahsildar Kurwai, District Shivpuri (M.P.) vide its order dated 20-09-2011 has stayed the further proceedings before him, which was challenged by the non applicant by filing revision no. 6/2011-12 before the Additional Collector remanded the matter back to the Tahsildar to act in accordance with law.

The aforesaid order passed by the Additional Collector District Shivpuri id challenged by the present applicants in the instant revision before this Hon'ble Court on the following grounds.

- (i) They are entitled for mutation of their name on the ground of adverse possession.
- (ii) There is a stay of Hon'ble Supreme Court.

In this respect it is most respectfully submitted that once there is a judgment and decree in favor of the non-applicant thereby declaring him the owner of the disputed property with further direction to possession of the said property to the non applicant, therefore it is boundent duty of the applicants to deliver possession of the disputed property to the non applicant, in which the utterly remain failed, and therefore on the basis of a wrong done by them they are not legally entitled to get any relief which will amount to perpetuation of the illegality.

So far as SLP pending in Hon'ble Apex Court in concerned same is being filed against the order of rejection of applications by the executing court and the civil court filed by the applicants, which was challenged by applicants before the Hogh Court of M.P. bench at

Gwalior by filing W.P.No.6721/2011 and 7487/2011. The Hon'ble Writ Court vide its order dated 28-11-2011 has dismissed the petions filed by the applicants thereby holding that applicants has no legal ground to claim right on the basis of adverse possession over the land in question. Meaning thereby in the Supreme Court the aforesaid order has stayed which does not accrue any right in favour of the applicants. Since the basis of the judgment and decree passed in the year 1998 same has attained finality which has declared present non applicant as owner of the land in question, therefore present non-applicant is fully eligible and entitled to get his name entered in the revenue record on the basis of judgment and decree.

It is further submitted that against the aforesaid judgment and decree passed in favour of non applicant in the year 1998 and has attained finality being confirmed up to Hon'ble High of M.P. Bench at Gwalior in second appeal no. 296/2011 neither any review application nor any SLP has ever been preferred by applicants at any point of time. It is well settled position of law that a wrong doer not be permitted to make a profit out of a wrong and to take undue advantage of his own wrong to given favorable interpretation of law as is being tried to done by the applicant in the present case by filing present revision before this Hon'ble Court which is quite illegal ant not maintainable. The scope of revision is very limited and can only be interfered where there is any question of law existing and cannot be interfere on the facts of the case, however in present case no question of law involves nor being pointed out by applicants in their memo of revision, therefore otherwise also present revision is not maintainable and deserved to be dismissed. अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, विदिशा द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं विधिनुकुल होने से रिश्वर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में आलोच्य आदेश पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि वे व्यवहार न्यायालय से स्थगन होने संबंधी जानकारी तथा प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी पक्षकारों से प्राप्त करने के बाद अगर स्थगन आदेश नहीं है या अन्य कोई आदेश पारित नहीं हुआ हो तो प्रकरण में पक्षकारों की पूर्ण सुनवाई करने के उपरांत गुणदोषों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें । अभिलेख में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. नं. 5498/2012 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 21–2–12 को स्थगन आदेश दिया गया है । इस स्थिति को देखते हुए विचारण

न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन हटने/निर्णय के बाद ही की जाना न्यायोचित होगा । उक्त स्थिति के प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । प्रकरण में अन्य बिन्दुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है एवं निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है ।

(मनोज गोयल)

प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर